

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- १००५ / १०-१

गोपेश्वर,

दिनांक ३०-०८-२०१०

सेवा में,


निदेशक / वन संरक्षक,
नन्दादेवी वायोस्फियर रिजर्व,

विषय:- जनपद चमोली में प्रस्तावित कर्णप्रयाग नौटी- पैठाणी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या -34) से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.86 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।
संदर्भ :- आपका पत्रांक 196/12-1 दिनांक 17-07-2018
महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में अवगत करना है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग में चाही गई सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	प्रेषित प्रस्ताव में 03 स्थानों पर मलवा निस्तारण के लिए बनाये गये है। लो०नि०वि० की दर के अनुसार निर्मित किये जाने वाले कार्यों का प्राक्कलन भी प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।	लो०नि०वि० की दर के अनुसार निर्मित किये जाने वाले कार्यों का प्राक्कलन संलग्न है।
2	हस्तान्तरित भूमि वन क्षेत्र में निर्मित मोटर मार्ग की लम्बाई में प्रत्येक 50 मीटर पर 60x60 x60 सेमी ³ के आर०सी०सी० पिलर लगाये जाने है। 1200 /- प्रति पिलर की दर से पर 201.20x20 x50 = 120 पिलर स्थापन हेतु 1,44,000.00 का प्राकलन मूल्य आता है। अतः प्राकलन संशोधित किया जाय।	120 पिलर स्थापन हेतु 1,44,000.00 का : प्राकलन तैयार कर संलग्न है।
3	0.150 है० मलवा निस्तारण स्थलों पर मलवा जमा होने के बाद मलवा पुनस्थापना मद अन्तर्गत 230302x1.20 प्रति है० की दर से 230302x1.20 x0.150 = 41454.00 रुपये का प्राकलन संलग्न किया जाय।	0.150 है० मलवा निस्तारण स्थलों पर मलवा जमा होने के बाद मलवा पुनस्थापना मद अन्तर्गत 230302x1.20 प्रति है० की दर से 230302x1.20 x0.150 = 41454.00 रुपये का प्राकलन संलग्न किया गया है।

सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० गौचर के पत्रांक 1183/1 सी (वन) दिनांक 31-07-2018 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
कैदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
